



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092021-230041
CG-DL-E-29092021-230041

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3685]
No. 3685]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 28, 2021/ आश्विन 6, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 2021/ ASVINA 6, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2021

का.आ. 4019(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपदा अधिकारी बनने हेतु केंद्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी रैंक के समतुल्य अधिकारी होने पर नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारी को नियुक्त करती हैं जो सारणी के स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थान के संबंध में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपदा अधिकारी पर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा -

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक स्थान और स्थानीय सीमाओं के अधिकारिता की कोटियां
(1)	(2)
रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकॉनॉमिक सर्विस लिमिटेड, प्लॉट नं. 1, सेक्टर - 29, गुरुग्राम - 122001 कार्यालय में	रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकॉनॉमिक सर्विस लिमिटेड, प्लॉट नं. 1, सेक्टर - 29, गुरुग्राम - 122001 के

तैनात ज्येष्ठ उप महाप्रबंधक (सिविल)	प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यालय परिसर और आवासीय घर।
-------------------------------------	---

[फा. सं. 2018/एलएमएल-1/14/10]

अंजनि कुमार सिन्हा, कार्यपालक निदेशक/ भूमि एवं सुविधाएं और स्टेशन विकास

MINISTRY OF RAILWAYS**(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st September, 2021

S.O. 4019(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of gazetted officer of the Central Government and to be estate officer for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the estate officer by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the table—

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Senior Deputy General Manager(Civil), posted at Rail India Technical and Economic Service Limited Plot No.1, Sector-29, Gurugram-122001	Office premises and residential houses under the administrative control of the Rail India Technical and Economic Service Limited, Plot No.1, Sector-29, Gurugram-122001

[F. No. 2018/LML-I/14/10]

ANJANI KUMAR SINHA, Executive Director (L&A & SD)